कुरुक्षेत्र

कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ाने में सरकारी पहल

संदर्भ

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) भारत में कौशल विकास पहलों के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशलयुक्त मानव संसाधनों की आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटना है। MSDE का मिशन भारत के लाखों लोगों को तीव्र, दक्षता और उच्च मानकों के साथ कौशल प्रदान करना है, ताकि 'कौशल भारत' के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय व सहायक संगठन

- MSDE को कई कौशल-केंद्रित संगठनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) प्रमुख है।
- NSDC एक संयुक्त सार्वजनिक-निजी संस्था है जो NSDC इंटरनेशनल के तहत प्रमाणित कौशल, अपस्किलिंग तथा रिस्किलिंग पाठ्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- सरकार-से-सरकार (G To G) समझौते के कारण, NSDC ने इजराइल के जनसंख्या, आव्रजन और सीमा प्राधिकरण (PIBA) के साथ मिलकर तीन राज्यों में विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए।
- MSDE का विज़न वर्ष 2025 देश को एक उच्च कौशल संतुलन की दिशा में स्थानांतरित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र-समर्थक दृष्टिकोण अपनाता है, जो व्यक्तियों, उद्यमों और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने में मदद करता है।

MSDE का उद्देश्य

- MSDE का उद्देश्य एक सजीव और समावेशी उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों, आकांक्षी ज़िलों, जीवंत गाँवों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सीमा क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों का समर्थन करता है।
- सरकार का उद्देश्य महिला उद्यमिता को लक्षित पहलों, मार्गदर्शन कार्यक्रमों और वित्त तक आसान पहुँच के माध्यम से बढ़ावा देना है।
- MSDE के दृष्टिकोण के तहत तीन प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है-
- सामाजिक गतिशीलता का समर्थन करने वाले व्यक्तिगत आर्थिक लाभों को सक्षम बनाना।
- एक शिक्षार्थी केंद्रित, मांग-संचालित कौशल बाज़ार का निर्माण करना।
- आकांक्षात्मक रोज़गार और उद्यमिता के अवसरों के सृजन को सुविधाजनक बनाना जो उद्यमों के लिए समग्र उत्पादकता में सुधार लाए और आर्थिक वृद्धि को उत्प्रेरित करे।

उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए पहलें

- सरकार उद्यमिता के लिए एक अनुकूल नीतिगत माहौल को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है, जिसमें नियमों में सुधार, प्रक्रिया को सरल बनाना, नौकरशाही अड़चनों को कम करना और व्यापार करने में आसानी बढ़ाना शामिल है।
- विभिन्न हितधारकों जैसे- सरकारी एजेंसियों, उद्योग विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों और अकादमिक क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाएंगे।

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर और अनुकूलित वित्तीय उत्पादों के निर्माण के माध्यम से हाशिए के समुदायों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए, ऋण वित्त तक पहुँच में भी सुधार किया जा रहा है।
- गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के क्षमता निर्माण के साथ-साथ NBFC और नैनो उद्यमियों के लिए ब्याज अनुदान योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, ताकि ऋण लागत पर अंकुश लगाया जा सके और इन उद्यमियों को औपचारिक ऋण मार्गों तक पहुँचने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- रणनीतिक उद्योगों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर) के साथ ITI-उद्योग साझेदारी को मज़बूत करने के प्रयास भी जारी हैं।
- इन संस्थानों को सहायक उत्पाद घटकों के लिए विनिर्माण शृंखलाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- उद्यमिता को स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। इससे छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता का विकास होगा।
- उद्यमिता प्रशिक्षण, मेंटरशिप और व्यवसाय विकास सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए AI, IOT, ब्लॉकचेन और डिज़िटल प्लेटफॉर्म जैसी नई-पुरानी तकनीकों का भी लाभ उठाया जा सकता है।
- राष्ट्रीय डिज़िटल प्लेटफॉर्म का निर्माण उद्यमियों को साथियों, विशेषज्ञों और सलाहकारों से जुड़ने, ज्ञान साझा करने, नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है।
- MSDE ने पूरे देश में अनुसूचित जातियों (SC)] अनुसूचित जनजातियों (ST)] अल्पसंख्यकों और दिव्यांग लोगों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया है

प्रमुख योजनाएँ और उपलब्धियाँ

- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JAN-MAN)% MSDE प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।
- यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में चल रही है और इसे 'ट्राइफेड' (ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) के सहयोग से 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना (पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए पायलट आधार पर) :** इस परियोजना के तहत MSDE ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ सहयोग किया है।
- स्ट्राइव परियोजना – MSDE की स्ट्राइव औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) परियोजना के तहत भारत भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्यमिता जागरूकता, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।
- **संकल्प योजना के तहत क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन, इनक्यूबे-शन सहायता और सहायता के माध्यम से उद्यमशील वातावरण को बढ़ाना:** MSDE 'संकल्प' (आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) के माध्यम से पूरे भारत में SC और ST सहित उद्यमियों को सशक्त बनाने, उत्थान और विकास करने के लिए काम कर रहा है।
- इस परियोजना का उद्देश्य विविध हाशिए के समूहों के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की है।

- **छह शहरों में उद्यमिता विकास:** छह मंदिर शहरों हरिद्वार, बोधगया, कोल्लूर, पुरी, पंढरपुर और वाराणसी में उद्यमिता संवर्द्धन और सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों के मार्गदर्शन पर एक पायलट परियोजना MSDE द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

- **उचित मूल्य की दुकान मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सहयोग से, MSDE ने उचित मूल्य की दुकान (FPS) मालिकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम परियोजना शुरू की है। यह परियोजना PMKVY योजना के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

- **पूर्वोत्तर शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र एवं इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना, विकास और प्रबंधन:** भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र और इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, विकास और प्रबंधन करेगा।

- **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम- दक्ष) योजना:** राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) और IIE ने पीएम-दक्ष योजना के तहत पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कौशल विकास सत्र आयोजित किए हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करके उनका उत्थान करना है ताकि वे स्थायी आजीविका उत्पन्न कर आत्मनिर्भर बन सकें।

- **सौर उद्यमिता पर ESDP:** MSDE द्वारा समर्थित, पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से सौर उद्यमिता पर उद्यमिता-आधारित कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) के लिए एक परियोजना को लागू कर रहा है। PMKVY के तहत एक विशेष परियोजना के रूप में शुरू की गई यह परियोजना सौर पीवी सिस्टम स्थापित करने और रखरखाव करने में सक्षम कुशल उद्यमियों का पोषण करेगी।

- **उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम:** NIESBUD पीएमकेवीवाई 4.0 की एक विशेष परियोजना के तहत ब्राइडल फैशन और पोर्टफोलियो मेकअप आर्टिस्ट जैसी भूमिकाओं के साथ-साथ एलईडी लाइट रिपेयर तकनीशियन, सोलर एलईडी तकनीशियन और सोलर पीवी इंस्टॉलर-इलेक्ट्रिकल जैसी भविष्य की नौकरियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

- **जेल कैदियों के बीच उद्यमिता का विकास:** MSDE के समर्थन से, NIESBUD ने क्षमता निर्माण, सलाह, हैंडहोल्डिंग और इनक्यूबेशन समर्थन के माध्यम से जेल कैदियों के बीच उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना क्रियान्वित की है। यह परियोजना पहले ही सेंट्रल जेल (वाराणसी) और मॉडल जेल एवं नारी बंदी निकेतन (दोनों लखनऊ में) में लागू की जा चुकी है।

- **जन शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम:** NIESBUD के माध्यम से, MSDE जन शिक्षण संस्थानों (JSS) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ToTs) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) द्वारा एक उद्यमी माहौल बना रहा है।

- इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण तथा इन्क्यूबेशन सहायता, के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना शामिल है।

- **एमएसएमई के स्फूर्ति कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी:** स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा भारत में पारंपरिक उद्योगों को विकसित करने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई थी, जिसका ध्यान क्लस्टर आधारित विकास पर केंद्रित था।

- **HUL द्वारा समर्थित उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम:** NIESBUD ने HUL की CSR पहल के तहत अखिल भारतीय स्तर पर 1,00,000 युवाओं के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के साथ सहयोग किया है।

उद्यमिता को समर्थन देने के लिए कुछ नई पहल

- **नीति आयोग की स्वावलंबिनी परियोजना:** MSDE स्वावलंबिनी परियोजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ सहयोग करेगा। इसे महिला छात्रों के बीच उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना भी है।
- **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान:** MSDE प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का भी समर्थन कर रहा है, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय बहुल गाँवों और आकांक्षी ज़िलों तथा ब्लॉकों में जनजातीय परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज के माध्यम से जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
- **ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन:** MSDE और ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों और उनके सदस्यों के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

भारत में कौशल विकास व उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र

संदर्भ

- कौशल विकास और उद्यमिता किसी भी देश के जीवन की कुंजी है। कृषि से लेकर विनिर्माण तक, सेवा से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने के लिए विशिष्ट कौशल और उद्यमिता की आवश्यकता होती है।

क्या है कौशल विकास

- कौशल विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए कौशल और दक्षताओं को सुधारने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो तकनीकी कौशल, सॉफ्ट कौशल और अंतर-पारस्परिक कौशल हो सकते हैं।
- कौशल विकास में औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नौकरी के दौरान अनुभव, स्व-अध्ययन, अप-स्किलिंग, क्रॉस-स्किलिंग और रि-स्किलिंग शामिल हैं।
- सामाजिक और आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता एक-दूसरे के पूरक हैं।
- 'स्किल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' हमारे युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करने की प्रमुख पहल हैं।
- भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) कतिपय उद्देश्यों के साथ देशभर में कौशल विकास प्रयासों का समन्वय सुनिश्चित करता है। कौशल विकास का परिदृश्य शिक्षा से प्रशिक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र से कार्यक्षेत्र के वातावरण तक विस्तृत है।

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020

- शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार कौशल शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए नीति स्तरीय रुपरेखा NEP 2020 में प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार कला एवं विज्ञान, पाठ्यचर्या तथा पाठ्येतर गतिविधियों और कौशल एवं शैक्षणिक धाराओं के बीच कठिन अलगाव को समाप्त कर दिया गया है।

- NEP में छात्रों को विभिन्न कौशलों से परिचय कराने के बाद एक्सपोजर, मध्य चरण में पूर्व-कौशल क्षमताओं के पश्चात् और माध्यमिक चरण में छात्रों की पसंद के कौशल पाठ्यक्रमों की शुरुआत की परिकल्पना है, ताकि उन्हें लाभकारी रोज़गार प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान देने में मदद मिल सके।

भारत में कौशल-अंतर कम करना

- NEP 2020 अकादमिक शिक्षा को व्यावहारिक कौशल के साथ जोड़ने वाले एक लचीले एवं बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।
- इस एकीकरण का उद्देश्य कौशल शिक्षा से जुड़े सामाजिक तौर पर निम्न स्तर के कार्य होने की भावना को दूर कर छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कैरियर विकल्पों के लिए कई रास्ते प्रदान करना हैं।
- ये केंद्र वर्तमान औद्योगिक माहौल में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया के कौशल हासिल करने में मदद मिलती है।

समग्र शिक्षा

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने की योजना को कौशल भारत मिशन के उद्देश्यों के साथ जोड़कर लागू किया जा रहा है।
- इसके तहत हब और स्पोक मॉडल का प्रावधान शुरू किया गया है, जिसके तहत हब स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी ढाँचे का उपयोग कौशल प्रशिक्षण के लिए नज़दीकी स्कूलों (स्पोक स्कूलों) के छात्रों द्वारा किया जाएगा।
- कौशल विकास को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने वाले छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन, बाहरी हितधारकों के साथ सहयोग के साथ-साथ उन्हें उचित कैरियर निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्म-जागरूकता उपलब्ध कराई जाएगी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजनाएँ

- **कौशल भारत मिशन:** यह वर्ष 2015 में शुरू की गई; एक व्यापक योजना है जिसमें देश के युवाओं को पर्याप्त कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने के लिए कई कौशल योजनाएँ/ कार्यक्रम शामिल हैं। ये संबंधित क्षेत्रों में उनको रोज़गार योग्य बनाने के साथ-साथ उत्पादकता में भी सुधार करेगा। कौशल प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के अभिसरण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) शुरू किया गया था।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** यह योजना देश में लघु अवधि के नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य युवाओं को कुशल बनाने और उनकी क्षमताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप कैरियर पथ चुनने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
- **जन शिक्षण संस्थान:** यह योजना 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के गैर/ नवसाक्षरों, 8वीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर वाले व्यक्तियों और बीच में स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करती है। योजना का मुख्य फोकस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, SC, ST, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों पर है।
- **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना:** यह योजना घरेलू उद्योगों के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल श्रमिकों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने, गुणात्मक रूप से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। यह योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण है।

- **उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना:** इस योजना के तहत एक से छह सप्ताह की अवधि के अल्पकालिक मॉड्यूल पाठ्यक्रमों के माध्यम से चयनित कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं।
- **महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु समूहों में रोज़गार के अवसरों को प्रोत्साहित करने वाली महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसे महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में मुख्यधारा में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना:** यह प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है।
- **संकल्प (आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता):** विश्व बैंक की सहायता से संचालित इस योजना का उद्देश्य संस्थानों को मज़बूत करने के माध्यम से गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना, बेहतर बाजार कनेक्टिविटी लाना और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शामिल करना है।
- **स्किल इंडिया डिजिटल हब:** यह कौशल विकास के लिए एक एकीकृत रजिस्ट्री ढाँचे के रूप में शिक्षा से कौशल और भविष्य के अवसरों तक एक सुचारू परिवर्तन को सक्षम बनाता है। यह भारत के कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिज़िटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है।

- **पीएम विश्वकर्मा:** इस योजना का उद्देश्य अपने पारंपरिक व्यवसाय/पेशे को करने वाले विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के ज्ञान के साथ- साथ उनके व्यवसाय का विस्तार करने और उनके लिए सम्मान, क्षमता और गरिमा लाने के लिए क्रेडिट सहायता प्रदान करना है।
- **कौशल ऋण योजना:** यह योजना राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों और योग्यता के अनुरूप व्यक्तियों को संस्थागत ऋण प्रदान करती है।

उद्यमिता विकास

- **स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम:** आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर सृजित करने, देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मज़बूत इको-सिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य नवाचार और डिज़ाइन के माध्यम से स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना है। नीति आयोग के स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग कार्यक्रम के साथ अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और मेक इन इंडिया जैसी पहलों द्वारा देश में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- **भास्कर (भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री):** भास्कर की कल्पना एक वन-स्टॉप डिज़िटल प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है, जहाँ विविध स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारक निर्बाध रूप से जुड़कर सहयोग कर सकते हैं। यह पूरे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और सफलता को उत्प्रेरित कर सकता है।

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** यह योजना सूक्ष्म ऋण प्रदान करके उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग प्रदान करती है। योजना के तहत विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र में आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे पोल्ट्री, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं।

भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत में अभी भी कौशल कार्यबल का प्रतिशत अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।
- व्यावसायिक शिक्षा की सामाजिक स्वीकार्यता कम होना
  - जटिल श्रम कानून
  - बदलती प्रौद्योगिकी
  - बुनियादी ढाँचे की कमी
  - प्रशिक्षकों की खराब गुणवत्ता
  - कौशल मानकीकरण का अभाव

निष्कर्ष

- भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, सक्षम सरकारी पहल और लोगों की भागीदारी देश को सबसे अधिक सक्षम बनाने का महान अवसर प्रस्तुत करती है। कौशल विकास से भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में काफी वृद्धि होने की संभावना है।
- दुनिया में कुशल राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी युवाओं के बीच कौशल विकास एवं उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए इन सभी उपायों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।

ग्रामीण महिला उद्यमिता के लिए आवश्यक उपाय

संदर्भ

- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 48% हिस्सा महिलाएँ हैं, लेकिन भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनका योगदान सिर्फ 17% है। यदि भारत 50% तक महिलाओं को कार्यबल में शामिल करता है, तो GDP की वृद्धि दर में 1.5% अंक के वृद्धि की संभावना है। ऐसे में भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने के लिए महिला श्रमिक भागीदारी दर को बढ़ाना होगा और यह महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिए बिना संभव नहीं है।

उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

- भारत में महिलाओं के पास कुल उद्यमों का केवल 20% हिस्सा है। इनमें से भी अधिकतर उद्यम केवल महिलाओं के नाम पर पंजीकृत होते हैं ताकि वित्त और अनुमतियों तक सरल पहुँच बनाई जा सके।
- 82% महिला-नेतृत्व वाले उद्यम माइक्रो यूनिट्स होते हैं, जिन्हें एकल स्वामित्व के रूप में चलाया जाता है, और अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्र में स्थित होते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कुछ अधिक महिला- स्वामित्व वाले उद्यम हैं।
- MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 22.24% जबकि शहरी क्षेत्रों में 18.42% महिला स्वामित्व वाले उद्यम है।
- विभिन्न अध्ययनों के अनुसार जिन व्यवसायों में कम से कम एक महिला संस्थापक होती है, उनकी कार्य संस्कृति अधिक समावेशी होती है।

- वे पुरुषों के मुकाबले तीन गुना अधिक महिलाओं को रोज़गार देती हैं, और उनका कुल राजस्व 10% अधिक होता है।

ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएँ

- भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ अद्वितीय योजनाएँ शुरू की हैं। उनमें से कुछ हैं-
  - **स्किल अपग्रेडेशन और महिला कॉयर योजना (MCY):** यह योजना घरेलू और निर्यात बाज़ारों के विकास, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, कॉयर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ आदि प्रदान करती है। महिला कॉयर योजना (MCY) एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो ग्रामीण महिला कारीगरों को कॉयर उद्योग में कौशल विकास के लिए चलाई जा रही है।
  - **स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP):** इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को गाँव स्तर पर गैर-कृषि क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है। जिससे ग्रामीणों में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के साथ ही गरीबी और बेरोज़गारी कम हो सके। इसमें महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले वर्गों, SC तथा ST समुदायों और ग्रामीण कारीगरों को प्राथमिकता दी जाती है।
  - **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP):** यह योजना ग्रामीण महिलाओं में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में महिलाओं का सशक्तीकरण करना है, ताकि उनकी भागीदारी एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके और उनकी कृषि-आधारित आजीविका का सृजन कर उसे बनाए रखा जा सके।

- **महिला शक्ति केंद्र (MSK):** इस योजना को नवंबर 2017 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंज़ूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को समुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना है। MSK ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास, रोज़गार, डिज़िटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण जैसी कई सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **महिला उद्यमिता विकास योजना (WED):** पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की महिला उद्यमिता विकास योजना महिला उद्यमियों को व्यापारिक उद्यमों में शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मौजूदा व्यवसायों को विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए भी पात्र माना जाता है। महिला उद्यमिता विकास योजना सभी वर्गों की महिला व्यापारियों को ऋण प्रदान करती है।
- **अन्नपूर्णा योजना:** भारत सरकार की यह योजना खाद्य सेवा क्षेत्र में महिला उद्यमियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधाएँ प्रदान करती है। यह उन महिलाओं को लक्षित करती है जो छोटे खाद्य कैटरिंग व्यवसायों जैसे टिफिन सेवाएँ, खाद्य स्टॉल या कैंटीन चलाती हैं।
- **मुद्रा योजना:** मुद्रा ऋण भारत सरकार द्वारा छोटे उद्यमियों को प्रदान किए जाने वाले प्रमुख समर्थन उपायों में से एक हैं। मुद्रा ऋण के तहत महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- **स्टार्टअप इंडिया पहल:** भारत सरकार ने जनवरी 2016 में इस पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारत में उभरती स्टार्टअप संस्कृति को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे आर्थिक वृद्धि, बेरोज़गारी और गरीबी में कमी आए।

प्रमुख योजनाओं में खामियाँ

- **प्रचार की कमी:** अधिकांश इच्छुक महिला उद्यमियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। इन योजनाओं के संदर्भ में जनजागरूकता का अभाव है।
- **सीमित फोकस:** अधिकांश केंद्र और राज्य योजनाएँ महिलाओं को प्रदान की जाने वाली दो प्रकार की सहायता वित्तीय और कौशल विकास पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। हालाँकि ये दोनों उद्यमिता चक्र के मूल तत्व हैं, फिर भी, ग्रामीण महिला उद्यमियों को इसके अलावा भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कमज़ोर बाज़ार लिंक तथा उचित मार्गदर्शकों की कमी आदि।
- **लक्षित योजनाओं की कमी:** अधिकांश केंद्रीय और राज्य योजनाएँ सभी प्रकार के लाभार्थियों जैसे- पुरुष, महिला, और अन्य के लिए होती हैं। केवल कुछ सीमित केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाएँ महिलाओं के लिए विशेष कोटे और अन्य प्रावधान प्रदान करती हैं।
- **कुछ क्षेत्रों की अनदेखी:** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएँ प्राय: क्षेत्र-निर्दिष्ट दृष्टिकोण को अपनाती हैं। एक अच्छा दृष्टिकोण होने के बावजूद अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **योजनाओं तक सीमित ऑनलाइन पहुँच:** ग्रामीण महिलाओं के बीच सीमित डिज़िटल साक्षरता होने के कारण इनके द्वारा योजनाओं के लाभों के वितरण में देरी और लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के सीमित उपयोग जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

सुझाव

- **ग्रामीण महिला उद्यमियों को मुख्यत:** अच्छे बाज़ार संबंधों, नेटवर्किंग और उपयुक्त मार्गदर्शन की कमी होती है। इसलिए, उन्हें ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही स्थिर और टिकाऊ भी हों।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, एक समग्र योजना में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए छह प्रकार की समर्थन सेवाएँ होनी चाहिए-
  - उद्यमिता प्रचार
  - व्यावसायिक समर्थन सेवाओं तक पहुँच
  - बाज़ार संबंध
  - वित्त तक पहुँच
  - प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
  - मार्गदर्शन तथा नेटवर्किंग।
- योजनाओं की एक एकीकृत प्रणाली भारत में महिला उद्यमियों की संख्या को बढ़ा सकती है।
- योजना में पंजीकरण से लेकर लाभ प्राप्त करने तक महिला उद्यमियों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इसलिए योजना को डिज़ाइन करने से लेकर उसकी डिलीवरी, कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र तक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- इसमें उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित तंत्र होना चाहिए, जो योजना की प्रभावशीलता और प्रभाव को समझने में मदद करेगा।

- ऑनलाइन उपलब्ध योजनाओं तक उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनका यूजर इंटरफेस, पहुँच की आसानी और जानकारी के उपयोग में सुधार करना चाहिए।
- बहुभाषी सामग्री को एकीकृत कर आवाज, वीडियो और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करके योजनाओं, उनके पात्रता मानदंडों, प्रक्रिया और शिकायत समाधान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए।
- योजनाओं के उपयोग पर लिंग-विशिष्ट डाटा एकत्र कर उसको एकीकृत करने की आवश्यकता है। यह खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में योजना के प्रदर्शन और कारणों का पता लगाने में मदद कर सकता है।
- महिला स्वामित्व वाले उद्यमों को अविकसित अनौपचारिक क्षेत्रों से औपचारिक क्षेत्रों में लाने के लिए एक औपचारिक अभियान की आवश्यकता है।